म.प्र. अनुविनि

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
राजीव गांधी भवन, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462002
फोन : (का.) 2661744, 2661803, 2661629, 2660538 फैक्स : 0755-2661612

क्र./यो-2/प्रशिक्षण/2011/3047 भोपाल, दिनांक 9.3.11

प्रति,

कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या०,
जिला - समस्त ।

विषय :अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित युवाओं के लिये एकीकृत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना (विशेष केन्द्रीय सहायता)

संदर्भ :आयुक्त अनुसूचित जाति विकास का पृ.पत्र क्रमांक/शिक्षा-4/प्रशिक्षण/नक्र25/2010-2011/9028, दिनांक 25.1.2011, म.प्र. शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण का पत्र क्रमांक/एफ-12/58/2008/4/25, दिनांक 19.8.2008 एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास का पत्र क्रमांक/3373, दिनांक 6.8.2010.

आयुक्त अनुसूचित जाति विकास के संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-2011 में अनुसूचित जाति वर्ग शिक्षित युवाओं के लिए एकीकृत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना (विशेष केन्द्रीय सहायता) के क्रियान्वयन का कार्य इस निगम को सौंपा गया है । योजना का क्रियान्वयन जिला इकाईयों के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । योजना के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित तत्थों के आधार पर ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :-

1. रोजगार प्रशिक्षण की योजनाओं के संबंध में विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि के उपयोग करने के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत वित्तीय प्रावधानों की सीमा में योजना के प्रस्ताव स्वीकृत करने के अधिकार, इस हेतु गठित समिति के अनुशंसा के आधार पर संबंधित जिले के कलेक्टर को होगें ।
2. योजना की स्वीकृति एवं मुल्यांकन तथा अनुश्रवण हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें जिले की आई टी आई/पालीटेक्निक अथवा इस विषय से संबंधित प्रतिष्ठित संस्थान के प्रमुख (सदस्य), एवं कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रशिक्षण से संबंधित विषय विशेषज्ञ तथा संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन

अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला .... सदस्य सचिव रहेंगे।

3. उक्त समिति शासकीय प्रशिक्षण संस्थायें जैसे – पॉलीटेकनिक, महिला पॉलीटेकनिक, आई.टी.आई., शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाएं तथा अन्य ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाएं जो प्रशिक्षण देने में सक्षम है एवं प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त आधार भूत सुविधायें उपलब्ध हैं, का चयन किया जाकर निर्धारित प्रतिशत तक रोजगार सुनिश्चित करने की शर्तों पर अनुबंध किया जा सकता है।

4. चयनित संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों का चयन कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

5. प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता निम्नानुसार रहेगी :–

1. प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु मध्य प्रदेश का मूल निवासी तथा मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग से होना अनिवार्य है ।
2. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण होगी। शेष योग्यता प्रशिक्षण पाठ्य क्रम के अनुसार होगी ।
3. आवेदक अथवा उनके अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रूपये 1.20 लाख से अधिक नहीं होगी चाहियें ।
4. आवकेदक की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो ।
5. प्रशिक्षणार्थी पूर्व से नियेाजित न हो।

6. प्रशिक्षणार्थी के आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति, वार्षिक आय प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र एवं जन्म दिनांक हेतु प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा

7. प्रशिक्षण की प्रकृति एवं प्रशिक्षण की अवधि को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं हेतु अधिकतम फीस की सीमा अनु.क्र. 2 में गठित समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा निश्चित की जावेगी । किसी भी प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष से अधिक की नहीं होगी ।

8. प्रशिक्षण यदि नियोक्ता संस्थान द्वारा दिया जाता है तो इस हेतु प्रशिक्षण की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा ।
9. प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को लॉजिंग/बोर्डिंग हेतु (बाह्य प्रशिक्षणार्थियों के लिये) प्रतिमाह रूपये 1,000/– एवं स्टेशनरी एवं अन्य प्रशिक्षण व्यय की पूर्ति हेतु एक प्रशिक्षण अवधि के लिये अधिकतम रूपये 5,000/– सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिये स्वीकृत किये जायेगें ।
10. अधिक रोजगार वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी लेकिन कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार में स्थापित कराया जाना आवश्यक है ।
11. जिला जहां अधिक मात्रा में उद्योग स्थापित है एवं रोजगार की अधिक संभावनायें है ऐसे संभागीय मुख्यालय / जिला मुख्यालयों को उक्त उद्योगों से संबंधित व्यवसायों के प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जावे।
12. संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण का चयन करते समय इस बात का ध्यान आवश्य रखा जाय कि प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को प्राप्त होने वाले रोजगार के परिणाम स्वरूप वेतन–भत्तों की मात्रा का संतोषजनक स्तर तथा रोजागार की निरंतरता की संभावनाएं हो।
13. निगम द्वारा प्रशिक्षण में रोजगार की संभावनायें एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर आनुपातिक रूप से राशि उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण कार्य का समय–समय पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराये जाने के आधार पर प्राशिक्षण की प्रगति के मान से राशि उपलब्ध करायी जायेगी ।
14. प्रशिक्षण संस्था से लिखित एम.ओ.यू. संस्था प्रमुख एवं संबंधित जिलें के कलेक्टर के मध्य संधारित होगा तथा एम.ओ.यू. का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित जिले के कलेक्टर का होगा । प्रशिक्षणार्थियों एवं रोजगार उपलब्ध कराने की जानकारी का संपूर्ण अभिलेख प्रशिक्षण संस्था द्वारा संधारित किया जायेगा तथा जिला इकाईयों को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
15. जिला इकाईयॉ प्रगति का विवरण प्रति माह कलेक्टर के अर्द्वशासकीय पत्र के माध्यम से प्रबंध संचालक को प्रेषित करेंगे।

16. संस्थाओं एवं प्रशिक्षणार्थियें के चयन पश्चात प्राथमिकतौर पर प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु कुल स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत राशि जिला इकाईयों को निगम मुख्यालय द्वारा जारी की जावेगी। समय–समय पर किये गये मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रतिवेदनों एवं पूर्व में दी गई राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात 25 प्रतिशत राशि पुनः जारी की जावेगी।

17. प्रशिक्षण संस्थाओं को शेष 50 प्रतिशत की राशि अनुबंध अनुसार संस्था द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित कराने के पश्चात जारी की जायेगी।

18. सभी जिला इकाईयॉ प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु संलगन निर्धारित प्रारूप में विज्ञप्ति प्रकाशित करा कर संस्थाओं से आवेदन प्राप्त कर तथा संस्थाओं का चयन कर इसी वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्रारंभ करें एवं प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी से तत्काल निगम को अवगत करायें ।

19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

पत्र के साथ प्रकाशित की जाने वाली विज्ञप्ति, प्रशिक्षण हेतु विस्तृत विवरण एवं शर्ते तथा अनुबंध का प्रारूप संलग्न है । प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवगत कराये ।

संलग्न : 1.विज्ञप्ति का प्रारूप, परिशिष्ट एक,
2. प्रशिक्षण हेतु विस्तृत विवरण एवं शर्ते, परिशिष्ट दो,
3. अनुबंध पत्र प्रारूप, परिशिष्ट तीन,
4. प्रशिक्षण प्रारंभ करने बाबत् जानकारी बाबत् प्रपत्र, परिशिष्ट चार,
5. देय राशि का सत्यापन बाबत् प्रपत्र, परिशिष्ट पांच,

प्रबंध संचालक.
9/3/11

पृ.क्र. / यो.–2 / प्रशिक्षण / 2011 /　　　　　　भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति, म.प्र. शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या0, जिला – समस्त की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सही
प्रबंध संचालक.

परिशिष्ट – एक

विज्ञप्ति

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति वर्ग के न्यूनतम कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण शिक्षित बेरोजगार युवकों को विभिन्न विषयों में रोजगार निश्चितता युक्त रोजगार / स्व.रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण / कौशल विकास के लिये प्रतिष्ठित / अनुभवी एवं प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त निजी / स्वशायी / शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं से उनके द्वारा संचालित प्रशिक्षण कोर्स एवं प्रशिक्षण शुल्क की राशि के साथ वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये प्रस्ताव/ आवेदन पत्र दिनांक .... तक बंद लिफाफे में आमंत्रित किये जाते है । उक्त संबंध में विस्तृत विवरण/ शर्ते कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या0, ... में देखी जा सकती है।

कलेक्टर

विभिन्न स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2010–2011 के लिये विस्तृत विवरण एवं शर्ते

1. प्रशिक्षण निम्नांकित विषयों में दिया जा सकता है :– फेशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाईनिंग, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल पम्प, मेकेनिक, डीजल पम्प रिपेयरिंग, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, कम्प्यूटर एकाउंटिंग, नर्सिंग हास्पिटिलिटी एवं एवियेशन, दो पहिया वाहन मरम्मत, इण्डस्ट्रियल आटोमेशन, कौशल विकास, मोटर बाईडिंग, एम्ब्रायडरी, घरेलू विद्युत वायरिंग, गारमेंट मैकिंग, नर्सिंग प्रशिक्षण, सिक्योरिटी गार्ड, प्लास्टिक प्रोसेसटेक्निग, सी.एन.सी. मशीन आप्रेशन विविध रोजगार मूलक, स्किल डब्लपमेंट (कौशल विकास) एवं समकक्ष अन्य रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आदि । उपरोक्त व्यवसाय संकेतिक है उपरोक्त के अतिरिक्त स्थानीय परिस्थिति के अनुसार अच्छे रोजगार की संभावनाएं निहित हो उन व्यवसायों में भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

2. शासकीय / अर्द्वशासकीय संस्थाओं को छोड़कर शेष संबंधित संस्था / एन.जी.ओ. का पंजीयन सोसायटी एक्ट / फर्म / कम्पनी एक्ट के अंतर्गत होना चाहिये तथा संस्था को संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का विगत तीन वर्षो का अनुभव होना चाहिये ।

3. प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण स्थान, प्रशिक्षण अवधि तथा प्रशिक्षण संस्था आदि का चयन गठित चयन समिति की अनुशंसा पर संबंधित कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन दिया जायेगा । प्रशिक्षण देने वाली संस्था के विगत वर्षो में प्रशिक्षणार्थियों को दिलाये गये रोजगार की प्रमाणिक जानकारी भी देना होगी ।

4. आई.टी.आई. से संबंधित विषयों हेतु प्रशिक्षण की अवधि अधिकतम दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये । कम्प्युटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग तथा कम्प्यूटर एकाउंटिंग से संबंधित प्रशिक्षण की अवधि 15 माह से अधिक न हो । कम प्रशिक्षण अवधि एवं अधिक प्लेसमेंट वाले प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जायेगी ।

01-03-2011

5. अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण होगी । शेष शैक्षणिक योग्यता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार होगी ।

6. प्रशिक्षणार्थी के आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति, वार्षिक आय प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र एवं जन्म दिनांक हेतु प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा ।

7. कलेक्टर द्वारा प्रशिक्षण हेतु संस्था को निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी । प्रशिक्षण शुल्क की राशि के अतिरिक्त अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा । आयकर एवं सेवाकर आदि का भुगतान नहीं किया जायेगा । उक्त करों का भुगतान संबंधित संस्था को स्वयं वहन करना होगा ।

8. प्रशिक्षण संस्था का चयन होने पर संस्था को कलेक्टर से लिखित अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा ।

9. समय–समय पर प्रशिक्षण संस्था एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरीक्षण शासन, निगम एवं कलेक्टर/कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारियों एवं अंत्यावसायी सहकारी समिति के कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जावेगां

10. चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षण की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा । निरीक्षण में प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं फेकल्टी उपयुक्त न पाये जाने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु प्रशिक्षण संस्था ही उत्तरदायी होगी।

11. प्रशिक्षण संस्था को निम्नांकित जानकारी समय–समय पर कलेक्टर को उपलब्ध करानी होगी –

    1. प्रशिक्षण हेतु दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, प्रशिक्षणार्थियों के नाम, पते, जाति एवं फोटोग्राफ,

    2. प्लेसमेंट की जानकारी,

3. शिष्यवृत्ति भुगतान की जानकारी,

4. प्रशिक्षण की वीडियोग्राफी,

5. फेकल्टी की जानकारी एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति,

12. विभाग द्वारा प्रशिक्षण अवधि में संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी । इसके अतिरिक्त बाह्य प्रशिक्षणार्थियों को पृथक से रूपये 1,000/– प्रतिमाह शिष्यवृत्ति की राशि उपलब्ध कराई जायेगी । कुल प्रशिक्षण अवधि में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले प्रशिक्षणार्थियों की शिष्यवृत्ति की पात्रता नहीं होगी तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं प्राईवेट उपक्रमों के रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं शिष्यवृत्ति की पात्रता नहीं होगी ।

13. रोजगार संबंधी विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देने वाली इच्छुक संस्थायें विस्तृत जानकारी के साथ कलेक्टर से संपर्क कर सकती है तथा ऐसी संस्थायें अपने प्रस्ताव /आवेदन पत्र बंद लिफाफे में कलेक्टर को दिनांक (संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित तिथि) तक भेज सकती है ।

14. प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी एवं संस्था स्तर पर विषय विशेषज्ञ की समिति बना कर प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा । जिन प्रशिक्षणार्थियों ने गत वर्ष विभाग द्वारा संचालित किसी रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को पुनः प्रशिक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा । इस हेतु प्रशिक्षणार्थी से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जायें ।

15. योजना की स्वीकृति एवं मुल्यांकन तथा अनुश्रवण हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें जिले की आई टी आई/पालीटेक्निक अथवा इस विषय से संबंधित प्रतिष्ठित संस्थान के प्रमुख (सदस्य), एवं कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रशिक्षण से संबंधित विषय

विशेषज्ञ तथा संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला .... सदस्य सचिव रहेंगे।

16. प्रशिक्षण संस्था से लिखित एम.ओ.यू. कराया जायेगा तथा प्रशिक्षणार्थियों एवं रोजगार उपलब्ध कराने की जानकारी का संपूर्ण अभिलेख प्रशिक्षण संस्था द्वारा संधारित किया जायेगा । प्रशिक्षण हेतु संबंधित संस्था के साथ किये जाने वाले अनुबंध की शर्तो की पूर्ति सुनिश्चित कराने का अधिकार एवं दायित्व संबंधित कलेक्टर का होगा ।

17. संस्थाओं एवं प्रशिक्षणार्थियों के चयन पश्चात प्राथमिकतौर पर प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु कुल स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत राशि जिला इकाईयों को निगम मुख्यालय द्वारा जारी की जावेगी। समय–समय पर किये गये मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रतिवेदनों एवं पूर्व में दी गई राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात 25 प्रतिशत राशि पुनः जारी की जावेगी।

18. प्रशिक्षण संस्थाओं को शेष 50 प्रतिशत की राशि अनुबंध अनुसार संस्था द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित कराने के पश्चात जारी की जायेगी।

19. प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए पृथक–पृथक अनुबंध संपदित किया जायेगा।

20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

प्रबंध संचालक.

9/3/11

परिशिष्ट – तीन

अनुबंध का प्रारूप

1.	प्रथम पक्षकार	कलेक्टर,
2.	द्वितीय पक्षकार	1.संस्था का नाम व पूरा पता, ... 2.पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक 3.संस्था का दूरभाष क्रमांक ....
3.	प्रशिक्षण व्यवसाय का नाम	
4.	प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या	
5.	अ. प्रशिक्षण की अवधि ब. प्रशिक्षण का समय	दिनांक ....से दिनांक............... तक बजे ....से ....बजे तक
6.	प्रशिक्षण स्थान का पूर्ण पता	
7.	प्रशिक्षण में व्यय होने वाली राशि	
8.	अनुबंध की अवधि	केवल स्वीकृत प्रशिक्षण अवधि तक
9.	प्रशिक्षणार्थियों का चयन प्रक्रिया	समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित समिति द्वारा,
10.	प्रशिक्षण का निरीक्षण / मूल्यांकन	शासन, निगम एवं कलेक्टर द्वारा समय–समय पर कराया जायेगा।

11.	वित्तीय भुगतान	(तीन किश्तों में) प्रशिक्षण के प्रारंभ होने पर 25 प्रतिशत राशि, प्रशिक्षणकी प्रगति/मूल्यांकन/निरीक्षण अनुसार 25 प्रतिशत एवं रोजागार प्राप्ति के उपलब्धता के आधार पर शेष 50 प्रतिशत
12.	रोजगार प्रतिस्थापना	प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रशिक्षण उपरांत कुल प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों के विरूद्व कम से कम 50 प्रतिशतको रोजगार उपलब्ध कराना होगा।
13.	प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को शिष्यवृत्ति	प्रशिक्षणार्थियों की औसत उपस्थिति 90 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहियें तथा विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही शिष्यवृत्ति की राशि देय होगी ।
14.	प्रशिक्षणार्थियों को बुक्स/स्टेशनरी प्रशिक्षण सामग्री,	प्रशिक्षण संस्था द्वारा फीस की राशि से उपलब्ध कराई जायेगी । जो राशि रूपये 5,000/– तक सीमित होगी यह सुविधा आंतरिक एवं बाह्य सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिये रहेगी जो पूर्ण कोर्स के लिये रहेगी ।

15. प्रशिक्षण हेतु निहित शर्ते –

1. मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक/डी–1161/708/2009/2/25, दिनांक 10 अगस्त 2009 के द्वारा निःशक्तजनों व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम की धारा

40 के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन योजना / रोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में कम से कम 3 प्रशिक्षण निःशक्तजनों को लाभांवित करने के लिये स्थान आरक्षित किया जाये।

2. महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिये न्यूनतम 30 प्रतिशत स्थान सुनिश्चित किया जायें ।

3. **प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता निम्नानुसार रहेगी :-**

1. प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु मध्य प्रदेश का मूल निवासी तथा मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग से होना अनिवार्य है ।

2. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण होगी। शेष योग्यता प्रशिक्षण पाठ्य क्रम के अनुसार होगी ।

3. आवेदक अथवा उनके अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रूपये 1.20 लाख से अधिक नहीं होगी चाहियें ।

4. आवकेदक की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो।

5. प्रशिक्षणार्थी पूर्व से नियेाजित न हो।

6. संस्था को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों के लक्ष्य का निर्धारण संबंधित जिलें के कलेक्टर द्वारा किया जायेगा तथा संस्था द्वारा लक्ष्य अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

7. सक्षम प्रशिक्षण देने वाली संस्था की शैक्षणिक शुल्क दरों की तुलना अनुमोदित संस्था से कम होने की स्थिति में अनुमोदित संस्था को भी दरें कम करने हेतु सहमति देना होगी तथा तद्नुसार शैक्षणिक शुल्क की दरों में कमी की जा सकेगी ।

8. संस्थाओं को प्रशिक्षण की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा। निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं फेकल्टी एवं प्रशिक्षण स्थल उपयुक्त न पाये जाने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु प्रशिक्षण संस्था ही उत्तरदायी होगी ।

9. प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण उपरांत रोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की पूर्ण जानकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति को उपलब्ध करायी जाए।

10. जिला अंत्यावसायी समिति द्वारा प्रशिक्षण हेतु संस्था को निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी । जिला अंत्यावसायी समिति द्वारा प्रशिक्षण शुल्क की राशि के अतिरिक्त आयकर एवं सेवाकर आदि का भुगतान नहीं किया जायेगा । उक्त करों का भुगतान संबंधित संस्थान स्वयं करना होगा ।

11. समय-समय पर प्रशिक्षण संस्था एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरीक्षण शासन, निगम एवं कलेक्टर/कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारियों एवं अंत्यावसायी सहकारी समिति के कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जावेगां

12. प्रशिक्षण स्थान से बाहय प्रशिक्षणार्थियों को रूपये 1,000/- (राशि रूपये एक हजार मात्र) प्रतिमाह शिष्यवृत्ति की राशि देय होगी।

13. प्रशिक्षण की अवधि एवं समय प्रति सप्ताह न्यूनतम 6 दिवस तथा प्रतिदिन 4 घंटा होगी।

14. प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षणार्थियों के बैठक हेतु पर्याप्त व्यवस्था होगी । प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षणार्थियों हेतु सभी प्रकार की मूलभूत सुविधायें, पंप पेयजल विद्यत आदि की समुचित व्यवस्था करने का दायित्व द्वितीय पक्षकार (प्रशिक्षण देने वाली संस्था) का होगा ।

15. प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रशिक्षण उपरांत न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों/अन्य प्रतिष्ठित कम्पनियों में रोजगार उपलब्ध कराना होगा । ऐसे रोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की सूची प्रशिक्षण उपरांत मय पूर्ण विवरण के कलेक्टर/जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति को उपलब्ध करानी होगी ।

16. संस्था को प्रशिक्षण हेतु दी गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिये ही किया जायेगा । निर्धारित उद्देश्यों के विपरीत राशि का दुरूपयोग करने पर संस्था दाण्डिक ब्याज सहित विभाग को पूर्ण राशि लौटाने के लिये बाध्य होगी ।

17. संस्था द्वारा प्रशिक्षण स्थल पर किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जायेगा ।

18. किसी विवाद की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा ।

19. प्रशिक्षण हेतु प्रतिदिन/साप्ताहिक पाठ्यक्रम संस्था द्वारा तैयार किया जायेगा उसी के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

20. जिन आवेदकों को प्रशिक्षण दिया जावेगा उनकी सूची प्रशिक्षण प्रारंभ करने के 3 दिवस में पूर्ण विवरण सहित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या0, (संबंधित जिला) को उपलब्ध करानी होगी ।

21. प्रशिक्षणार्थी के आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति, वार्षिक आय प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र एवं जन्म दिनांक हेतु प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।

22. प्रशिक्षणार्थी का आवेदन पत्र मय उक्तानुसार प्रमाण–पत्रों की एक प्रति चयन समिति के समक्ष एवं जिला अंत्यावसायी कार्यालय को प्रस्तुत करना होगी ।

स्थान – भोपाल
दिनांक –

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
कलेक्टर ....
जिला ....

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
संस्था प्रमुख का नाम, पदनाम, संस्था का पूर्ण पता, कार्यालय का दूरभाष क्रमांक .

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, ...(म0प्र0)

परिशिष्ट – "चार"

अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित युवाओं के लिये एकीकृत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना (विशेष केन्द्रीय सहायतांतर्गत)

जिलें का नाम	प्रशिक्षण प्रारंभ करने की स्वीकृति के आदेश पत्र का क्रमांक......... दिनांक..................
प्रशिक्षण संस्था का नाम एवं पता	प्रशिक्षण प्रारंभ करने का दिनांक ....
प्रशिक्षण केन्द्र का स्थान	
जिलें का नाम	

प्रशिक्षणार्थी सूची

क्रमांक	प्रशिक्षणार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	जाति	जन्म दिनांक अंकसूची अनुसार	पता	शैक्षणिक योग्यता	वार्षिक आय	प्रशिक्षण का व्यवसाय	प्रशिक्षण अवधि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

हस्ताक्षर
प्रशिक्षण संस्था प्रभारी

हस्ताक्षर
कार्यपालन अधिकारी

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, ...(म0प्र0)

परिशिष्ट – "पांच"

जिला ....   प्रशिक्षण संस्था का नाम ....

प्रशिक्षणार्थी सूची एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र

क्र.	प्रशिक्षणार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	जाति	जन्म दिनांक	पता	शेक्षणिक योग्यता	वार्षिक आय	प्रशिक्षण का व्यवसाय	प्रशिक्षण स्टायफण्ड भुगतान का विवरण		प्रशिक्षण संस्था को देय राशि	कुल व्यय	रिमार्क
									चैक नं. / दिनांक	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13

प्रमाणित किया जाता है कि प्रशिक्षण संस्था द्वारा देय उपरोक्तानुसार प्रशिक्षणार्थी सूची एवं प्रशिक्षणार्थियों को देय राशि का सत्यापन किया गया जो कि सही पाया गया ।

हस्ताक्षर
प्रशिक्षण संस्था प्रभारी

हस्ताक्षर
विषय विशेषज्ञ

हस्ताक्षर
कार्यपालन अधिकारी
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या0,
जिला –.............................